उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में जनपद के भीतर स्थानान्तरण हेतु तकनीकी ऑपरेशन सम्बन्धी दिशा–निर्देश

सर्वप्रथम अध्यापक/अध्यापिका वेबसाइट में दिये गये दिशा–निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें तथा दिये गये आवेदन पत्र के प्रारूप को प्रिंट कर लें। प्रिंट किये गये फार्म पर अपने रिकार्ड के अनुसार सूचना सही–सही भर लें ताकि ऑनलाइन फार्म भरते समय सरलता रहें। ऑनलाइन आवेदन में समस्त प्रविष्टियां **अंग्रेजी भाषा के कैपिटल लैटर्स** में तथा संख्यात्मक प्रविष्टियाँ एक ही अंक पद्धति में अंकित की जानी हैं। प्रविष्टियां भरने में स्पेशल करैक्टर (#, @ ,$,%,^, &, *,( ), _, -, = इत्यादि) का प्रयोग नहीं किया जायेगा।

ऑनलाइन फार्म भरने की प्रक्रिया निम्नलिखित चरणों में विभाजित है –

1. आनलाइन आवेदन हेतु लॉगिन करना–

- ऑनलाइन आवेदन करने के लिए अध्यापक को सबसे पहले अपना जनपद, एरिया टाइप, विकासखण्ड, खाता संख्या एवं पैन नम्बर भरना होगा।
- आप द्वारा वांछित प्रविष्टियों को भरने के उपरान्त कुछ प्रविष्टियां पहले से ही भरी होगी, अन्य प्रविष्टियों को जो आवेदन पत्र में प्रदर्शित हो रही है उन्हे भरना होगा।

2. फोटो अपलोड करना–

- पहले अपनी 20 KB की एक फोटो, जिसके नीचे आवेदक के हस्ताक्षर हों, स्कैन करके कम्प्यूटर पर रख लें। डाली गयी फोटो हस्ताक्षर सहित ही स्कैन होनी आवश्यक है। अपलोड की गयी फोटो JPEG तथा JPG Format में होनी चाहिये तथा फोटो साइज 20 KB से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- फोटो अपलोड करने हेतु आवेदक कम्प्यूटर पर उपलब्ध अपनी Choose File बटन की सहायता से फोटो सेलेक्ट करके अपलोड करेंगे एवं अपने द्वारा अपलोड की गयी फोटो की पुष्टि कर लेंगे।

3. फार्म को जांच करना एवं प्रविष्टियों में संशोधन करना–

- सभी प्रविष्टियों को पूर्ण करने के उपरान्त ऑनलाइन आवेदन पत्र का प्रिन्ट लेकर भरी गयी प्रविष्टियों को जांच लें।
- कोई संशोधन होने की दशा में अपने आवेदन पत्र में संशोधन करते हुए अपना आवेदन पत्र Final Submit कर दे।
- Final Submit करने के बाद ही आपका आवेदन पूर्ण माना जायेगा। Final Submit करने के बाद आप द्वारा आवेदन पत्र में कोई संशोधन नहीं किया जा सकेगा।
- **आवेदन पत्र Final Submit नहीं करने पर आपके स्थानान्तरण पर विचार किया जा पाना संभव नहीं होगा।**